न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 28/2017

बउनवान

रमेशचन्द्र पुत्र श्री भॅवरलाल आयु 42 वर्ष जाति–कुम्हार निवासी–जालेडा तहसील–बारां, जिला–बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 [illegible] अधिनियम,1956

उपस्थिति [illegible] अभिभाषक (अपीलांट)

[illegible] (रेस्पोंडेंट)

[illegible] दिनांक– 24.01.2019

1– अपीलांट ने [illegible] अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 05.10.2016 से [illegible] होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत [illegible] में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम– [illegible] की आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चा[illegible]कर, अकृषि कार्य करने पर, अतिक्रमी मानकर बेदखली, 300[illegible] एव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। [illegible] हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर [illegible] किया है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा [illegible] भी जमा करवा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील उचित शुल्क व जानकारी से अवधि मध्य पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण [illegible]र्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

प्रोपर तामील नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 693/14 निर्णय दिनांक 28.11.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, [illegible] आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसील[illegible] द्वारा निर्णय दिनांक 05.10.2016 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1326/15 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 05.10.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा [illegible] तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(... सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official